न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 08/2020 जी.सी.एम.एस. 2020/00009

1. केदारबाई पुत्री गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित —

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन

प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक— 10/3/21

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हींगोनिया पटवार हल्का हींगोनिया तहसील कनवास जिला कोटा मे खाता स0 नई 8 की खसरा न0 32 की 2.25 हेक्टर, खसरा न0443 की 0.35हेक्टर, खसरा न0 537 की 0.27हेक्टर, इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 2.87 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है। जो कि वांदीनीं के बचपन के नाम केसरबाई पुत्री गोपाल, उसके भाईयो जगदीश, रामकिशन व अन्य सहखातेदारान के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। इसके अतिरिक्त ग्राम कनवास पटवार हल्का कनवास तहसील कनवास जिला कोटा मे हीत्रखाता स0 नई 34 की खसरा न0 4544 की .25हेक्टर, केदारबाई व उसके भाईयोंजगदीश, प्रभूलाल, रामकिशन व अन्य सुहखातेदारान के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। उक्त कृषि भूमि हिस्सा अनुरूप वादीनी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे है, जिसे वादीनी मौके पर शांति पूर्वक काश्त करती चली आ ,रही है।

2. यहकि दिनांक 04.11.2019 को वादीनी ने अपनी कृषि भूमियो मे विकास कार्य करने हेतु बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए हल्का पटवारी से खाते की नकले प्राप्त की, तो उसने पाया, कि ग्राम हींगोनिया तहसील कनवास मे स्थित उक्त कृषि भूमियो [illegible] के बचपन का नाम केसरबाई पुत्री गोपाल दर्ज हो रहा हे, इस पर वादीनी [illegible] कनवास की खाते की नकल भी प्राप्त की, तो उसने पाया, कि क[illegible] राजस्व रेकार्ड मे [illegible] का नाम

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:50 IST
Reason: SelfAttested

...ई दर्ज हो रहा हे, वादीनी ने अपने दोनो खातो की नक़लो को लेकर विभिन्न बैंको के शाखा ...वकों से सम्पर्क किया, तो

उन्होने बताया, कि आपकी हींगोनिया स्थित कृषि भूमि मे आपके बचपन का नाम केसरबाई अंकित हो रहा है, जबकि आपके पहचान के अन्य दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि मे आपका नाम केदारबाई दर्ज है, यहा तक कि आपकी कनवास स्थित कृषि भूमि मे भी आपका नाम केदारबाई दर्ज है, ऐसी स्थिति मे हम आपको ग्राम हींगोनिया की जमीन मे ऋण सुविधा नही दे सकते है, आप ग्राम हींगोनिया स्थित कृषि भूमि से सम्बन्धित खाते मे केसरबाई के स्थान पर केदारबाई दर्ज करवाकर आयेंगी, तब ही हम आपको ग्राम हींगोनिया स्थित कृषि भूमि पर ऋण सुविधा दे पायेंगे। वादीनी ने बैंक शाखा प्रबन्धक महोदय को कहा भी, कि उक्त दोनो नाम मेरे ही है, परन्तु वे मानने को तैयार नही है।

3. यह कि बैंक के शाखा प्रबन्धक से जानकारी मिलने के बाद वादीनी ने हल्का से सम्पर्क कर वादनी के खाते में केसरबाई के स्थान पर केदारबाई दर्ज करने की प्रार्थना की, तो उन्होने कहा, कि इस कार्य को मै नहीं कर सकता हूँ, इसके लिये आपको उप जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय मे कार्यवाही करनी पडेगी, हल्का पटवारी से जानकारी मिलने के उपरान्त वादीनी अविलम्ब उक्त वाद प्रस्तुत कर रही है, वादीनी की प्रार्थना है, कि उसके खाते की ग्राम हींगोनिया स्थित उक्त वर्णित कृषि भूमियो के उसका नाम केसरबाई के स्थान पर केदारबाई दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती करने की कृपा करे, यही इस वाद की विषयवस्तु है।

4. यहकि वाद कारण दिनांक 23.2.209 को उत्पन्न हुआ, जब वादीनी को ग्राम हींगोनिया मे स्थित उसकी कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड मे उसका नाम केसरबाई दर्ज होने की वजह से शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण सुविधा देने से मना कर दिया।

6. यहकि विवादित कृषि भूमि ग्राम हींगोनिया तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान मे स्थित होने से उक्त वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीनी के पक्ष मे खातेदारी घोषणा की डिकी प्रदान की जाकर वादीनी व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खाते व कब्जे की ग्राम हींगोनिया पटवार हल्का हींगोनिया तहसील कनवास जिला कोटा [illegible] न0 32की 2.25हेक्टर, खसरा न0443 की 0.35 हेक्टर, खसरा न0 537 की 0.27हेक[illegible] इस [illegible] कुल किता 3 की कुल 2.87 हेक्टर कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेक[illegible] केसरबाई पुत्री गोपाल के स्थान पर केदारबाई पुत्री गोपाल दर्ज किये जाने की घो[illegible] की डिकी प्रदान करने का कष्ट करे,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:50 IST
Reason: SelfAttested

Page no 2

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

घोषणा के अनुक्रम मे राजस्व रेकार्ड मे केसरबाई पुत्री गोपाल के स्थान पर केदारबाई पुत्री गोपाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए राजस्व रेकार्ड मे दुरस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करे।

वादनी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलबी जारी की गई , प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद में वादीगण ग्राम हिंगोनिया की आराजी खसरा नबंर 32 रकबा 2.25 है0, खसरा नबंर 443 की 0.35 है0, खसरा नबंर 537 की रकबा 0.27 है0, कुल किता 03 रकबा 2.87 है0, केशरबाई पुत्री गोपाल जाति धाकड संयुक्त खाते दर्ज रिकॉर्ड है। वादी केशरबाई के स्थान पर केदारबाई दर्ज करवाना चाहता हैं। वादी का नाम आधार कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण–पत्र, में वादनी का नाम केदार बाई दर्ज है।

अतः वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में केशरबाई के स्थान पर केदारबाई उर्फ केसरबाई दर्ज किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हैं इससे राजहित प्रभावित नहीं है।

हमारे द्वारा जवाब सरकार , संलग्न दस्तावेजों, प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। जिसमें वादनी केदारबाई का शपथ पत्र, जगदीश पुत्र गोपाल धाकड का शपथ–पत्र, ग्राम पंचायत हिंगोनिया का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, संलग्न है। जिनके अवलोकन पश्चात हम ग्राम हिंगोनिया की आराजी खसरा नबंर32 रकबा 2.25 है0, खसरा नबंर 443 की 0.35 है0, खसरा नबंर 537 की रकबा 0.27 है0, कुल किता 03 रकबा 2.87 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम केशरबाई के स्थान पर केदारबाई उर्फ केसरबाई दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादनी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम हिंगोनिया की आराजी खसरा नबंर 32 रकबा 2.25 है0, खसरा नबंर 443 की 0.35 है0, खसरा नबंर 537 की रकबा 0.27 है0, कुल किता 03 रकबा 2.87 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम केसरबाई के स्थान पर केदारबाई उर्फ केसरबाई दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/3/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (आर.ए.एस.)
कनवास जिला कोटा (राज0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

दावा मु.नं. 08/2020 जी.सी.एम.एस. 2020/00009

2. केदारबाई पुत्री गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादी–

बनाम

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन

प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार कनवास।

निर्णय

मुकदमा नं. 08/2020 तारीख फैसला 10/3/21 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वांस्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री अशोक कुमार जैन वादनी** मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है ग्राम हिंगोनिया की आराजी खसरा नबंर 32 रकबा 2.25 है0, खसरा नबंर 443 की 0.35 है0, खसरा नबंर 537 की रकबा 0.27 है0, कुल किता 03 रकबा 2.87 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम केसरबाई के स्थान पर केदारबाई उर्फ केसरबाई दर्ज किया जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 3 ......सन् 2021 को जारी की गई।

मोहर ....

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

Page no 4

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ...	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:50 IST
Reason: SelfAttested